

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम निम्बाहेडा

अशोक कुमार पुत्र कन्हैयालालजी वनाम तहसीलदार निम्बाहेडा  
किरस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र मु.न. 187 सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म
4.6.2024	<p>प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीगण व पेरोकार सरकार उपस्थित। पक्षकारान की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण की बहस में प्रकट तथ्यों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार निम्बाहेडा को 500/-रु फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता हैं कि प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण की भूमि से लगे हुये सभी पड़ौसी खातेदारों को सूचना-पत्र जारी करते हुये, उनकी की उपस्थिति में, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में तथा किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर, प्रार्थी की खातेदारी आराजियात वाके मौजा साकरियां पटवार हल्का रानीखेडा तहसील निम्बाहेडा की खाता संख्या 13 की आराजी नंबर 291 रकबा 1.0500 हैक्टेयर, आराजी नंबर 292 रकबा 0.5400 हैक्टेयर, आराजी नंबर 297 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, आराजी नंबर 310 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, आराजी नंबर 313 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, आराजी नंबर 314 रकबा 0.3300 हैक्टेयर, आराजी नंबर 315 रकबा 0.3600 हैक्टेयर, आराजी नंबर 316 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, आराजी नंबर 318 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, आराजी नंबर 322 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, आराजी नंबर 323 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, आराजी नंबर 324 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, आराजी नंबर 328 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, आराजी नंबर 330 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, आराजी नंबर 349 रकबा 0.0900 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर नियमानुसार पत्थरगढ़ी करें। फीस कमिश्नर प्रार्थी से वसूल की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
निम्बाहेडा

